रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 सितम्बर, 2005/16 भाद्रपद, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 7 सितम्बर, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0 डी0(6)–23/2005–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05–09–2005 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन)

2321–राजपत्र/2005–7–9–2005—1,527. मूल्य : एक रुपया।

विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 24 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (विधि) ।

2005 का अधिनियम संख्यांक 24.

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 सितम्बर, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 15) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह पांच जुलाई, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (दद) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

2005 का 15.

1994 का 12. 1924 का 2 1977 का 12

"(दद) "नगरीय क्षेत्र" से नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका की परिसीमाओं के भीतर आने वाला कोई क्षेत्र या छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड या हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;"।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(3) जहां वृत्ति, व्यापार या आजीविका से किसी व्यक्ति की आय मासिक आधार से अन्यथा हो रही है वहां इस अधिनियम के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रयोजन के लिए वर्ष के दौरान सकल आय मासिक आय के परिनिर्धारण के लिए बारह से विभाजित की जाएगी ।" ।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में, विद्यमान उपबन्धों को उप-धारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, किसी भी वर्ष के लिए या उसकी किसी भी तिमाही के लिए कर के अग्रिम संदाय के लिए विकल्प दे सकेगा और कर के ऐसे अग्रिम संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, वर्ष या तिमाही के प्रारम्भ के तीस दिन के भीतर वह वर्ष के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर पन्द्रह प्रतिशत रिबेट और तिमाही के लिए अग्रिम में संदत्त कर की रकम पर दस प्रतिशत रिबेट के लिए हकदार होगा तथा कटौती और नियोजक द्वारा कर के संदाय और अन्य व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए लागू होंगे ।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृतियां ।

5. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 24 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (AMENDMENT) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH SEPTEMBER, 2005)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows: —

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Act, 2005. Short title and Commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of July, 2005.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after existing clause (r), the following clause (rr) shall be inserted namely: — Amendment of Section 2.

15 of 2005

"(rr) "urban area" means any area falling within the limits of a municipality constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, or a Cantonment Board established under the Cantonment Act, 1924, or special Area Development Authority constituted under section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977;".

12 of 1994

2 of 1924

12 of 1977

3. In section 4 of the principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely: — Amendment of Section 4.

"(3) Where the income of any person, from the profession, trade or calling, is accruing other than on monthly basis, the gross income during

a year shall be divided by twelve to arrive at the monthly income for the purpose of levy and collection of tax under this Act.".

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, the existing provisions shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following sub-section (2) shall be inserted, namely: -

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, any person liable to pay tax under this Act may opt for advance payment of tax for any year or for any quarter thereof, and after such advance payment of tax within thirty days of the commencement of the year or the quarter, as the case may be, he shall be entitled to 15 percent rebate on the amount of tax paid in advance for the year and 10 percent rebate on the amount of tax paid in advance for the quarter, as the case may be, and the provisions of this Act relating to deduction and payment of tax by the employer and payment of tax by other persons shall apply accordingly for the purposes of this sub-section.".

Amendment of Section 31.

5. In section 31 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "in consistent", the word "çonsistent" shall be substituted.

Repeal of Ordinance No. 6 of 2005 and Savings.

6. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Ordinance, 2005, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित